## 80. 27 मुख्य कार्यकारियों/कार्यवाहक निदेशकों की नियुक्ति की अवधि को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित नियुक्ति अवधि से परे विस्तारित/अविस्तारित करना।

उपरोक्त विषयांतर्गत अधोहस्ताक्षरी को मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुदेश दिनांक 10.12.1986 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें इस संबंध में प्रस्तावों को प्रक्रियागत करने संबंधी प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया गया है।

2. सक्षम प्राधिकारी ने आगे अनुमोदित किया है कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को साथ ही साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनापत्ति तथा पीईएसबी से संयुक्त समीक्षा प्राप्त करने के लिए भी प्रक्रियागत करना चाहिए ताकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की टिप्पणियाँ संबंधित मंत्रालय/विभाग से संयुक्त समीक्षा की अनुशंसाओं की प्राप्ति के दौरान उपलब्ध हों, जिससे कि सतर्कता अनापत्ति की अनुपलब्धता में होने वाले विलंब को दूर किया जा सके।

3. सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्णय का संज्ञान लें और एसीसी के निर्देशों के अनुपालनार्थ त्वरित कदम उठाएं।

## मंत्रिमंडल सचिवालय के अर्ध शास. पत्र सं. 27(18)/ईओ/86–एसीसी दिनांक 10.12. 1986 की प्रति

वर्तमान में विद्यमान प्रक्रियाओं के अनुसार लोक उद्यम चयन बोर्ड से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर लोक उद्यमों में मुख्य कार्यकारियों/कार्यात्मक निदेशकों के पदों पर नियुक्ति हेतु, जैसा कि भारत सरकार (कार्यकरण) नियम, 1961, यथा संशोधित, में निहित प्रावधानों के अनुरूप, प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार, मंत्रालयों/विभागों से कार्यप्रदर्शन समीक्षा के आधार पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित नियुक्ति अवधि से परे नियुक्ति अवधि को आगे विस्तारित करने संबंधी प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक, मंत्रालय ने ऐसे मामलों में जहां मंत्रालय किसी मुख्य कार्यकारी/कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति की अवधि को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित नियुक्ति अवधि से आगे विस्तारित नहीं करने के संबंध में निर्णय लेते हैं, को समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

2. प्रधान मंत्री महोदय के संज्ञान में यह आया है कि, हाल के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के एक सक्षम मुख्य कार्यकारी की कार्यावधि को विस्तारित नहीं किया गया था। इस मामले को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के समक्ष भी नहीं लाया गया, जैसा कि वर्तमान में केवल नियुक्ति अवधि के विस्तार के मामलों को ही समिति के समक्ष रखा जाता है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यावधि की समाप्ति के समय प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्य अवधि के विस्तार को लोक उद्यम चयन बोर्ड अथवा एसीसी के साथ परामर्श के बगैर आगे विस्तारित नहीं किया जाता और सक्षम कार्यकारियों के मामले का निबटान नहीं किया जाता है, यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में, ऐसे मामलों में जहां मुख्य कार्यकारी/निदेशक की कार्यावधि को एसीसी द्वारा पूर्व में अनुमोदित कार्यावधि के आगे विस्तार करने हेतु प्रस्तावित नही किया गया (केवल संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्त होने की दशा को छोड़कर), प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को इसे लोक उद्यम चयन बोर्ड के

परामर्श में किया जाना चाहिए, साथ ही मुख्य कार्यकारी/निदेशक के विगत कार्यप्रदर्शन के संबंध में एक मूल्यांकन को उसके कार्यावधि समाप्त होने से चार माह की अग्रिम अवधि में प्राप्त किया जाना चाहिए। ऐसे समीक्षा मूल्यांकन की उपरान्त, ये सभी मामले व्यापक तौर पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आएंगेः

(i) ऐसे मामले जिसमें सकारात्मक समीक्षा के आधार पर, प्रशासनिक मंत्रालय और पीईएसबी उसके कार्यावधि को आगे विस्तारित करने का निर्णय लेते हैं और एक प्रस्ताव एसीसी के अनुमोदन हेतु ई.ओ. को भेजते हैं;

(ii) ऐसे मामले जिसमें मुख्य कार्यकारी/निदेशक के कार्यकाल में परिवर्तन पर विचार किया जाना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक होः

(क) मुख्य कार्यकारी/निदेशक द्वारा निराशाजनक कार्यप्रदर्शन के साथ–साथ कंपनी द्वारा नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता दर्शाई गई हो। ऐसे मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय, पीईएसबी से परामर्श के उपरान्त ई.ओ. के माध्यम से एसीसी के समक्ष नए मुख्य कार्यकारी/निदेशक की नियुक्ति हेतु आएगा।

(ख) ऐसे मामले जिनमें मुख्य कार्यकारी/निदेशक के कार्यप्रदर्शन को संतोषजनक/सकारात्मक माना गया हो, लेकिन किसी अन्य कारणों से, प्रशासनिक मंत्रालय और/अथवा पीईएसबी इसमें परिवर्तन करने के इच्छुक हो। ऐसे सभी मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय नियुक्ति को निरस्त करने से पहले सर्वप्रथम निरपवाद तौर पर एसीसी से परामर्श करेगा।

ऐसे मामले, जिन्हें एसीसी को प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा एतद् संदर्भित नहीं किया जाता हो, अब प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार नियुक्ति को निरस्त करने के पूर्व एसीसी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

**( डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(23)/98–जीएम, दिनांकः 15 सितंबर, 2009)**

*****